

पीठासीन अधिकारी आज भ्रमण पर/अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आईन्दा सुनवाई हेतु पूर्व अनुसार दिनांक 23-3-21 को पत्र आजा से

भूवर्षि  
रीडर  
डिविजनल कमिश्नर  
जोधपुर

23.3.21

पीठासीन अधिकारी आज भ्रमण पर/अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आईन्दा सुनवाई हेतु पूर्व अनुसार दिनांक 24-3-21 को पत्र आजा से

भूवर्षि  
रीडर  
डिविजनल कमिश्नर  
जोधपुर

24.3.21

पत्रावली जेका हुअे सोपीलर व 23/3/21 को  
अपनी उपस्थिति है उनके अधिकारपत्र को  
उपस्थिति है सोपीलर को सोर से एक पत्रिका  
जबत सोपीलर को 23/3/21 को LPC  
के तहत पत्र हुअे सोर निवेदन किया कि सोपीलर  
को अपित विवाहित मुक्ति के साक्षर में सोपीलर  
को कोई किसी प्रकार का उत्र एतदत नहीं है।  
सोर जो भी विवाद का सोल वद विवाद समाप्त  
कर दिया है। अतः उत्र 23/3/21 को सोपीलर  
सोपीलर को सोपीलर को विवाहित कर दो नवीं  
सोपीलर के उत्र साक्षरों का सुवलीकरण  
किया। सोपीलर के पत्रिका पर को लोक न्याय  
की मध्या के अनुक्रम स्वीकार किया जाता है।



23/3/21  
M.P.

K. S. Singh  
पहचानकर्ता  
23/3/21

लगातार

GPJu

FORM No. 123  
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER .....

Court of ..... at .....

Kind of the Case .....

Number of Case .....

Year .....

Versus .....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
<p>लसुन 24.3.21</p>	<p>अपील पर याचिका पर से कठिन सुनवाई अधिनियम अनुसार के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु 20 अंतर्गत 20 अपील को इस आधार पर निरस्त किया जाता है। परावर्तनी नक्खर से काम की जाये। अपील अधिनियम का मूल रेकर्ड माफिशिका की प्रति सहित लौटाया जाये।</p> <p style="text-align: right;"><i>dh</i></p> <p style="text-align: center;">डिविजनल कमिश्नर जोधपुर</p>	<p style="text-align: right;">212 R 30-3-21</p>

